

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांक SP-10

जयपुर, दिनांक: 18.4.2020

कार्यालय आदेश

प्रदेश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण सभी प्रकार की गतिविधियां संस्थान, उद्योग बंद हो जाने के चलते अन्य राज्यों के श्रमिक जहां है, उसी जगह अस्थायी निवासों/शैल्टर होम में रह रहे हैं। ऐसे प्रवासी श्रमिकों को भोजन/आवास/ईलाज/राशन/दवा आदि की किसी भी समस्या के समाधान में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम विभाग द्वारा निम्नानुसार कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जाती है :-

- | | | | |
|----|---|---------|------------|
| 1. | सुश्री प्रज्ञा शर्मा, सहायक श्रम आयुक्त | प्रभारी | 9267912131 |
| 2. | सुश्री कृतिका, श्रम निरीक्षक, | सदस्य | 8112268407 |
| 3. | श्री मनीष भीणा, श्रम निरीक्षक | सदस्य | 9079832787 |
| 4. | श्री मनीष चौधरी श्रम निरीक्षक | सदस्य | 8619551363 |


कन्ट्रोल रूम दूरभाष सं०

0141- 2450780

उक्त कन्ट्रोल रूम प्रतिदिन कार्य करेगा एवं दूरभाष/मोबाईल पर प्राप्त सूचना को निर्धारित पंजीका में विवरण दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

पंजीका प्रारूप के

क्र. सं.	श्रमिक का नाम	श्रमिक का मो० नं०	स्थान, कहां से बोल रहा है	श्रमिक की परेशानी का विवरण	की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7


श्रम आयुक्त

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक SP-11-76

जयपुर, दिनांक: 18.4.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय श्रम राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव श्रम एवं नियोजन, राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलक्टर, (समस्त)
- संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/ श्रम कल्याण अधिकारी समस्त
- संबंधित अधिकारी/श्रम निरीक्षक को पालनार्थ।
- रक्षित/गार्ड पान्नावली।


अतिरिक्त श्रम आयुक्त

राजस्थान, जयपुर।